RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-10
October-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.010

अँग्रेजी बनाम हिन्दी बनाम अन्य भारतीय भाषाएँ : शिक्षा-माध्यम के विशेष संदर्भ में

आराधना साव

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 October 2020

Keywords
भाषा, हिन्दी, अँग्रेजी, भारतीय, शिक्षा, आठवीं अनुसूची, संविधान ।

***Corresponding Author**
Email: aradhanapresi[at]hotmail.com

ABSTRACT

व्यक्ति को अगर शिक्षा अपनी भाषा में प्राप्त करने की सुविधा न मिले तो वह कहीं न कहीं अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों से पिछड़ने लगता है । उसकी आधी क्षमता तो उस दूसरी भाषा को सीखने व समझने में लग जाती है । इस तरह उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर नहीं मिल पाता है । वहीं दूसरी तरफ भाषा विमर्श में हिन्दी बनाम अँग्रेजी का वर्चस्व इतना अधिक है कि बाकी भारतीय भाषाएँ एकदम हाशिए पर नजर आते हैं और इसलिए उन भाषाओं के व्यवहार करने वाले लोगों की हित की बातें भी कम होती है । इस शोध-पत्र में इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा माध्यम में अँग्रेजी बनाम हिन्दी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति पर विचार किया गया है एवं उसके आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा गया है ।

गाँधी जी ने कहा था , "परायी भाषा हमारी मौलिकता को नष्ट कर देती है"क्योंकि हम सोचते किसी एक भाषा में हैं, बोलते किसी अन्य भाषा में हैं और लिखते किसी दूसरी भाषा में हैं। वस्तुतः यही हमारी मौलिकता के शनै: शनै: क्षरण का कारण है। यदि इसके कारणों की ओर दृष्टिपात करे तो हम देखेंगे कि यह शिक्षा की भाषा का दबाव ही है जो हमें अपनी ज़बान के अधिकार से वंचित कर रहा है । उदाहरण के तौर पर हम देखे तो पायेंगे कि हिंदीत्तर भाषा राज्यों में प्रति वर्ष जो विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं वे अपनी भाषा में अपना मनपसंद विषय न मिल पाने के कारण दूसरा संकाय (stream) या विषय चुनने के लिए बाध्य होते हैं। यदि आज उच्चशिक्षा के लिए भाषा के बन्धन को समाप्त कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर इसका सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों को ही होगा। और उससे भी अधिक लाभ उसके भविष्य को होगा क्योंकि उसके लिए रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा।

विदेशी भाषा सीखना और उसके मूल स्रोतों के जरिए अनुसंधान करना, नौकरी पाना या अंग्रेजी साहित्य का रसास्वादन करने का विरोध नहीं है , लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए हो जो इन क्षेत्रों में जाने के लिए अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं । लेकिन अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा को एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधक न बनने दिया जाए। विदेशी भाषा का ज्ञान अपनी उपयोगिता के लिए अर्जित करने का कोई विरोधी नहीं है । दुनिया के अन्य दूसरे देश जैसे फ्रान्स रूस , जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन आदि शिक्षण का माध्यम अपनी ही भाषा को बनाए हुए हैं। अपनी भाषा ही समस्त उन्नति का मूल है , जैसा की भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है,

"निज भाषा उन्नति अहै,सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के , मिटत न हिय को सूल।।"1

यह आधुनिक हिंदी भाषा के निर्माता भारतेन्दु बाबु ने एक शताब्दी पहले ही कहा था,वही हमें अब भी समझना है। ऊँचे विज्ञान की खोज अगर करनी है , तो अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाएँ सीखनी होंगी। परन्तु विज्ञान के उपयोग के लिए और फैलाव के लिए मातृभाषा के बिना किसी अन्य भाषा में गति नहीं है। खोज और उपयोग का फर्क हम समझ सकते हैं। रेडियो की खोज एक बात है और रेडियो का उपयोग दूसरी बात। रेडियो का उपयोग सब लोग कर सकते हैं। उसकी खोज बहुत थोडे लोग ने की है। जिन्हें खोज करनी है , उन्हें मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाएँ

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सीखनी होंगी परंतु उसका देशभर में उपयोग हो , प्रचार हो,फैलाव हो,उसके लिए मातृभाषा की आवश्यकता होगी ।

उच्च शिक्षा में भाषा के बंधन का सर्वाधिक नुकसान आदिवासियों को होता हैं। यदि आदिवासी अपनी शिक्षा के लिए आपकी भाषा के बंधन को स्वीकार भी कर ले, तब भी यह प्रश्न उठता हैं कि आपने उनके क्षेत्र में अपनी भाषा में शिक्षा के लिए क्या सुविधाँए मुहैया करायी हैं? यह शोचनीय विषय है ।

ग्रियर्सन का विचार था कि आर्य भाषाएँ अधिक शक्तिशाली होती हैं , वे अनार्य-भाषाओं का स्थान बराबर छीन रही है। उन्होंने लिखा है , "भारत में आर्य-भाषाएँ सभ्यता और जाति-प्रथा(कास्ट सिस्टम) की भाषाएँ हैं। जाति-प्रथा के अन्तर्गत रहने वालों को जो शक्ति और गौरव प्राप्त होता है,वह इन भाषाओं को प्राप्त है। वे उन भाषाओं का स्थान निरन्तर छीन रही हैं जिन्हें हम संक्षेप में आदिवासी भाषाएँ कह सकते हैं जैसे द्रविड़ , मुण्डा और तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवार।"2

जिन लोगों को इससे आपत्ति है कि आदिवासी लोग अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करे वे लोग कुतर्क देते हैं कि यदि आदिवासियों को उनकी भाषा में शिक्षा मुहैया करा भी दिया जाए, तो भी नौकरी के लिए उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर आना ही पडेगा। ऐसी स्थिति में आप निर्वाह कैसे करेंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि देश की सबसे बडी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा में आपने जिस किसी भी भाषा के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और मान ले कि उस भाषा से इतर आपकी नियुक्ति किसी अन्य क्षेत्र में हुई हो , तब कुछ महीने तक आपको वहाँ की सम्बन्धित भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है , ताकि आप वहाँ के जन सामान्य से जुड़ सके और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सके एवं उनके लिए काम कर सके । तो क्या यही बात आदिवासी भाषाओं पर लागू नहीं हो सकती ?

भारत एक बहुभाषिक , बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। भारत में विभिन्न बोलियों और भाषाओं का एक समुच्चय है । भाषा का सम्बन्ध सीधे हमारी जातीयता से, हमारी पहचान से और हमारे अस्तित्व से जुडा है। भाषा, अस्तित्व और पहचान के अंतरसंबंध के महत्व को हम विद्या सिन्हा के इन शब्दों में समझ सकते हैं कि, “क्षेत्रीयता और स्थानीयता अपनी बोलियों , भाषओं और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को सम्पन्न और सशक्त करते हैं ; साथ ही समाज को उसकी समकालीन सच्चाइयों और वास्तविकताओं के साथ जागरूक चेतना युक्त दृष्टि भी देते हैं । ”3उदाहरण के तौर पर मैं एक निजी घटना का जिक्र करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैं एक बस में अपनी सहपाठी के साथ यात्रा कर रही थी। बात विश्वविद्यालय में आयोजित होनेवाले अंताक्षरी प्रतियोगिता की हो रही थी। सहपाठी के पूछने पर कि मैं क्यों उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हूँ, मैंने कहा कि वहाँ सिर्फ बाँग्ला गाने में ही कार्यक्रम होगा,जो मुझे नहीं आती। मेरा इतना कहना था कि पास बैठी एक भद्र महिला भडक उठी और कहने लगी ,बंगाल में रहती है और बाँग्ला नहीं जानती । मैंने उनसे कहा कि मैं कामचलाऊ बाँग्ला बोलना,पढना और लिखना भी जानती हूँ लेकिन गाना नहीं गा सकती। लेकिन उन्होने कुछ नहीं सुना और बात को महाराष्ट्र में हुए भाषाई दंगे तक पहुँचा दिया। और कहने लगी कि ऐसे तो कुछ सालों बाद सिर्फ हिंदी ही हिंदी रहेगी।

इस घटना से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब संविधान की आठवीं अनुसूची में बाँग्ला को मान्यता प्राप्त है,बंगाल और त्रिपुरा की राजभाषा है और भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जानेवाली भा षा है,तब उस भद्र महिला को इतनी तकलीफ हुई, तब जरा सोचिए कि वे आदिवासी भाषाएँ जिन्हें न तो आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है , न ही राजकीय संरक्षण प्राप्त है , उनकी जातीयता को कितनी ठेस पहुँचती होगी। अतः हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और भारत के भाषायी वैविध्य की रक्षा करनी चाहिए।

वस्तुतः बात केवल अँग्रेजी बनाम हिन्दी तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें भारत की समस्त भाषओं एवं बोलियों के संरक्षण और विकास के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है । जैसा कि डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि, “विभिन्न प्रदेशों में अँग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो , यह सही मांग है और मज़दूर वर्ग को इसका समर्थन करना चाहिए । लेकिन अँग्रेजी की जगह सारे देश में एक ही भाषा का चलन हो , यह मांग उस जनतांत्रिक मांग से भिन्न है । अंग्रेजों ने सारे भारत पर अँग्रेजी लादी - यह साम्राज्यवादी कार्य था । उसका स्थान एक भारतीय भाषा ले ले, यह बात जनतांत्रिक और न्यायपूर्ण न होगी ।”4

एक भाषा या बोली सिर्फ एक संचार माध्यम का कार्य नहीं करती बल्कि उससे पूरी एक सभ्यता , संस्कृति एवं समाज का लेखा-जोखा जुड़ा होता है । यही कारण है

कि हम आजतक सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में ठोस एवं प्रामाणिक जानकारी हासिल नहीं कर पाएँ क्योंकि हम आजतक उस सभ्यता की भाषा की लिपि नहीं पढ़ पाएँ जिसमें उस सभ्यता के अनेक रहस्य दबे हो सकते हैं । हम केवल हड़प्पा की खुदाई से मिले वस्तुओं का मुआयना करके उस समय की बातों का अंदाज़ा लगाते हैं । सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ , ये आजतक पता नहीं चल सका । यही नहीं , उस समय लोग बीमार होने पर किन दवाइयों या उपचार का प्रयोग करते थे , यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी होती , क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी, उनकी नगर योजना के आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है । अतः उनकी औषधियों एवं उपचारों के संबंध में मिलने वाली जानकारी अवश्य ही आधुनिक वर्तमान समय के लिए लाभदायक सिद्ध होती ।

किसी भाषा या बोली के लुप्त होने का सीधा संबंध उस भाषा या बोली को बोलने वाली जनसंख्या के खत्म होने से है । अगर किसी भाषा या बोली को बोलने , पढ़ने, लिखने व जानने वाला एक भी व्यक्ति न बचे तो वह भाषा स्वतः लुप्त हो जाती है । सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि के साथ भी यही हुआ । यानी अगर भाषा व बोली बचानी है तो उन्हें बोलने वालों की संख्या बचानी और बढ़ानी होगी । इसका सबसे अच्छा उपाय है कि स्थानीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विद्यालयों में शामिल किया जाय । कुछ समय पूर्व भाषा संकट के संबंध में एसएसजे परिसर के दृश्य कला संकाय में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा बीपी कोईराला इंडो नेपाल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था । इस “ एसएसजे परिसर में आयोजित अंतर राष्ट्रीय सेमिनार में संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण के लिए उन्हें स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि मातृभाषा सीखने की आयु शैशव काल होती है। इसलिए शैशवकाल में ही मातृभाषा के संरक्षण के उपाय ढूंढे जाने चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में आधे घंटे का समय स्थानीय भाषाओं के लिए रखा जाना चाहिए। ”5 यह प्रशंसनीय है कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है ।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान या संचार से ही जुड़ा नहीं है बल्कि इसका एक गहरा संबंध सामाज , संकृति , सभ्यता एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से भी है । अपने व्यक्तित्व का विकास करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई भाषा अगर बाधा उत्पन्न करे तो वह न्यायोचित नहीं होगा । भारतीय शिक्षा जगत में किसी विशेष भाषा में ही उच्च शिक्षा की उपलब्धता, उस भाषा को करोड़ों भारतीयों पर थोपने जैसा ही है । अगर किसी एक भाषा को बोलने और लिखने वाले को उस भाषा का राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रयोग का अधिकार एवं सुविधा प्राप्त है और किसी अन्य भाषा को नहीं , तो यह उस अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होगा । भारतीय संविधान व्यक्ति के विकास की समान अवसर प्रदान करने की बात करता है । तो क्या आठवीं अनुसूची से बाहर भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उन्हे अपने विकास के लिए अन्य भारतीयों की तरह समान अवसर प्राप्त है ? यह कैसे संभव होगा जब उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का ही अवसर नहीं मिलता है । अतः हर व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में शिक्षा उपलब्ध हो , इसके लिए समुचित प्रबंध और आवश्यक कदम उठाया जाना अत्यंत आवश्यक है । और भाषा विमर्श को केवल अँग्रेजी बनाम हिन्दी के बजाय अँग्रेजी बनाम हिन्दी बनाम अन्य भारतीय भाषाएँ की ओर मोड़ने की आवश्यकता है तभी हम भाषा के संबंध में हर भारतीय के पक्ष में न्यायसंगत बात कर पाएंगे।

संदर्भ -

1. https://www.bharatdarshan.co.nz/magazine/literature/94/bharatendu-hindipoetry.html
2. ग्रियर्सन जॉर्ज.लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया.खंड 1,पृ॰ 29
3. सिन्हा विद्या.(2016). भारतीय लोक साहित्य परंपरा और परिदृश्य. (द्वितीय संस्करण). प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, (भूमिका से) ।
4. शर्मा रामविलास.(2013). भारत की भाषा समस्या. अजय तिवारी (संकलन) , रामविलास शर्मा संकलित निबंध(प्रथम संस्कारण , पृ.-120). नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
5. https://www.jagran.com/uttarakhand/almora-impact-of-culture-on-language-culture-18522453.html

RRIJM 2015, All Rights Reserved